भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 2895
गुरुवार, 8 अगस्त, 2024 / 17 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किराए में वृद्धि

2895. कैप्टन बृजेश चौटाः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में मंगलौर से बंगलुरू और मुंबई जाने वाली उड़ानों के विमान-टिकट मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ख) भविष्य में इस प्रकार की आकस्मिक वृद्धि को रोकने के लिए विमान किराए को विनियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का मंगलौर और बंगलुरू, मुम्बई, पुणे, तिरुपति और दिल्ली जैसे अन्य महत्वपूर्ण शहरों के बीच विमान संपर्क बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): विमान किराए का मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग की मौलिक आर्थिक शक्तियों से प्रभावित गतिशील उतार-चढ़ाव के अध्यधीन है। वर्तमान सीट उपलब्धता, ईंधन लागत, विमान क्षमता और प्रतिस्पर्धी कारकों जैसे विभिन्न निर्धारक एयरलाइन टिकटों के मूल्य निर्धारण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

(ख): मौजूदा विनियमन के अनुसार, सरकार विमान किराए को निर्धारित या विनियमित नहीं करती है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही सरकार द्वारा विमान किराए को मंजूरी देने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में लगे प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम को प्रचालन लागत, सेवाओं की विशेषता, उचित लाभ और सामान्य प्रचलित टैरिफ सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना अपेक्षित है। एयरलाइन कंपनियां उपर्युक्त नियम के अनुपालन के अध्यधीन अपनी प्रचालन व्यवहार्यता के अनुसार उचित विमान किराया वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं।

तथापि, विमान किराये में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) की स्थापना की है, जो मासिक रूप से एयरलाइनों की वेबसाइटों का उपयोग करके औचक आधार पर चयनित मार्गों पर विमान किराए की मानीटर करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनें वायुयान अधिनियम, 1937 के नियम 135 के उप-नियम (2) के प्रावधान के अंतर्गत उनके द्वारा घोषित सीमा के बाहर विमान किराया न वसूलें।

(ग): नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित 'ग्रीष्मकालीन अनुसूची-2024' के अनुसार, जो 31 मार्च 2024 से 26 अक्टूबर 2024 तक प्रभावी रहेगी, मैंगलोर हवाईअड्डा कन्नूर, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे और दिल्ली हवाईअड्डों से जुड़ा हुआ है।

इसके अतिरिक्त, मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त होने के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन पूरी तरह से नियंत्रण मुक्त हो गया। एयरलाइनें क्षमता बढ़ाने के लिए किसी भी

प्रकार के विमान को शामिल कर सकती हैं, वे स्वतंत्र रूप से सेवा देने के लिए किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन कर सकते हैं और सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों (आरडीजी), हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीसीए से आगे के अनुमोदन के अनुपालन के साथ प्रचालन करते हैं। इसलिए, यह एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वह अपनी प्रचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाईअड्डे से हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें।

******